छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा तृतीय सत्र अंक-01

रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014

(अग्रहायण 24, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत

वन्दे मातरम् की धुन बजाई गई ।

2.निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री रेशमलाल जांगड़े, लोकसभा एवं अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री विशाल सिंह, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री शिवप्रताप सिंह, राज्य सभा एवं छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य एवं दिनांक 1 दिसम्बर, 2014 को हुए नक्सली हमले में शहीद जवानों के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए ।

मुख्यमंत्री-डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष-श्री टी.एस.सिंहदेव, श्री रामसेवक पैकरा-गृह मंत्री, श्री भूपेश बघेल-सदस्य, श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री, श्री पुन्नूलाल मोहले-खाद्य मंत्री, डॉ. सनम जांगड़े-सदस्य ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.29 बजे स्थगित होकर 11.36 बजे पुन: प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

3. विधान सभा स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय का सदन को सम्बोधन

आज का दिन काफी उल्लेखनीय है। उस संबंध में मुझे सदन को यह स्मरण कराते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य गठन के उपरांत प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत की प्रथम बैठक आज से ठीक से 14 वर्ष पूर्व 14 दिसम्बर, 2000 को राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में अंतरिम व्यवस्थाओं के अंतर्गत सम्पन्न हुई थी और आज 15 वें वर्ष में प्रवेश का यह प्रथम दिवस है।

मैं इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य गठन के उपरांत इस सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले समस्त माननीय सदस्यों को एवं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ कि इस सदन ने जिसके आप अविभाज्य अंग हैं, अपनी बुद्धिकौशल एवं नव गठित राज्य के प्रति समर्पण के भाव से छत्तीसगढ़ राज्य के विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया वह इतिहास के पन्नों में अविस्मरणीय रहेगा।

छत्तीसगढ़ विधान सभा का प्रथम सत्र जो 14 दिसम्बर, 2000 से 19 दिसम्बर, 2000 के मध्य आहूत किया गया था, उसके पश्चात् फरवरी 2001 से वर्तमान भवन में आपकी विधान सभा संचालित है और विगत लगभग 14 वर्षों में इस भवन को आप सबकी आवश्यकता के अनुरूप विस्तृत करते हुये इसकी भव्यता को उत्कृष्ट स्वरूप दिया गया। इस अवधि में इस परिसर में संसदीय व्यवस्था एवं अन्य गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्येश्य से एक ऑडिटोरियम, एक सेंट्रल हॉल के अतिरिक्त विभिन्न कक्षों को विस्तार दिया गया और इस भवन में भी प्रथम तल पर पुस्तकालय के लिए आवश्यकता अनुरूप कक्षों का विस्तार किया गया। यही नहीं एक खेल प्रशाल का निर्माण भी इस परिसर में किया गया और इन समस्त व्यवस्थाओं के साथ में यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि प्रदेश की यह सर्वोच्च पंचायत इस राज्य के साथ गठित अन्य राज्यों की तुलना में अपितु और भी एकाधिक राज्यों की तुलना में सर्वसुविधायुक्त स्थल है, जहॉ प्रदेश की विकास की रूपरेखा गढ़ी जाती है।

आप सबके संसदीय कार्यों में सहायता के लिए विधान सभा का एक समृद्ध पुस्तकालय की आवश्यकता के मद्देनज़र पुस्तकालय के ऊपर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए इसमें समस्त महत्वपूर्ण जर्नल्स, पत्र-पत्रिकायें, संसद एवं अन्य विधान सभाओं की कार्यवाहियां और देश-विदेश के संसदीय विज्ञान और अन्य विषयों पर लगभग 125 से अधिक जर्नलस और पत्रिकायें भी निरंतर संग्रहित की जा रही है। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय एवं संदर्भ शाखा के माध्यम से आप सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जाती है।

इस सभा की कार्यवाही को जन-जन तक पहुँचाने के उद्येश्य से और माननीय सदस्यों एवं जनता को विधान सभा एवं इसकी बैठकों में होने वाली कार्यवाहियों तथा अन्य समस्त महत्वपूर्ण जानकारियॉ सुगमता एवं शीघ्रता से सम्पन्न हो सकें। इस उद्येश्य से छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाईट भी वर्ष 2005 में लॉन्च की गई और इस वेबसाईट को प्रतिदिन अद्यतन रखने और उसमें निरंतर परिवर्धन करने का कार्य विधान सभा सचिवालय में पदस्थ

अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जाता है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी प्रक्रिया स्वरूप प्राप्त हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ विधान सभा ने अपनी 14 वर्ष की लघु संसदीय यात्रा में सफलता और सम्मान के अनेक सोपानों को सृजित करते हुये अपनी एक अलग पहचान देश के विधान मण्डलों में स्थापित की है। वर्ष 2005 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों एवं सचिवों का सम्मेलन, वर्ष 2010 में चतुर्थ एशिया एवं इंडिया रिजन राष्ट्रकुल संसदीय सम्मेलन आयोजित करके और राष्ट्रकुल संसदीय सम्मेलन में इस प्रदेश से संबंधित विषयों को सम्मेलन के मुख्य विचार बिन्दु बनाकर अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में छत्तीसगढ़ विधान सभा ने ख्याति अर्जित की है।

मैं आपको यह बताते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपकी यह विधान सभा देश में ऐसी प्रथम विधान सभा है, जिसने संसदीय संस्कृति की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए **स्व-निलंबन** से संबंधित एक ऐसा नियम अपनी नियम पुस्तिका में सम्मिलित किया जिसकी सर्वत्र प्रशंसा की गई। मैं उल्लेख करना चाहता हूँ गर्भगृह में आने पर इस सदन द्वारा लिया गया **स्व निलंबन** का निर्णय। हमने यह केवल नियम पुस्तिका में दर्ज ही नहीं किया, मैं आप सबको इस अवसर पर बधाई देता हूँ कि आप सबने इसका पालन करने में जिस भावना का परिचय दिया है, वह निश्चित तौर पर अनुकरणीय है और मैं इस हेतु आप सबको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

इस सभा में विगत 14 वर्षों में जनहित से संबंधित समस्त मामलों पर समय-समय पर गहन विचार-विमर्श किया। एक अवसर तो ऐसा भी आया, जब इस प्रदेश में नक्सलवाद की समस्या के संबंध में इस सदन ने क्लोज डोर मीटिंग करके लगभग बिना रूके 8 घंटे से अधिक तक अपने विचार व्यक्त किये। प्रदेश के हित में यह भावना ही है, जिसके फलस्वरूप यह प्रदेश जो विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर सका है।

यह सभा संसदीय संस्कृति के प्रति जिम्मेदारी के भाव से हमेशा ओतप्रोत रही है। जनहित में उत्तेजना अथवा वाद-विवाद के मध्य सहज रूप से भावावेश में निकले असंसदीय शब्दों के लिये माननीय सदस्यों ने निशर्त खुले मन से खेद व्यक्त करते हुए और इस सदन की गरिमा और मर्यादा का सम्मान करते हुए न केवल अपने शब्दों को वापस लेने की समृद्ध परम्परा का पालन किया है अपितु लोकतंत्र के प्रति गहरी श्रद्धा और आस्था का परिचय देते हुए अपनी परिपक्वता को भी प्रदर्शित किया है।

सदन की गरिमा एवं सम्मान के प्रति तथा प्रदेश के विकास की ईच्छाशक्ति के कारण ही यह संभव हुआ है कि संसदीय व्यवस्था में इस सर्वोच्च प्रजातांत्रिक निकाय ने 14 वर्ष का कार्यकाल अपनी एक पृथक पहचान स्थापित करते हुए पूर्ण किया है।

मैं आप सबको इस अवसर पर पुन: बधाई देता हूँ और आप सभी की ओर से छत्तीसगढ महतारी को यह विश्वास भी दिलाता हूं कि इस प्रदेश की ढाई करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले हम सब सदस्य और यह सदन इसकी सेवा निष्ठापूर्वक करेंगे।

4. पृच्छा

प्रश्नकाल प्रारम्भ होते ही श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष द्वारा अन्य विषय पर चर्चा किए जाने पर श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि प्रश्नकाल में भाषण की परंपरा नहीं है।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया एवं यह भी कथन किया कि माननीय सदस्यों की बात प्रश्नकाल के बाद सुनी जायेगी।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए।)

निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 11.45 बजे स्थगित की जाकर 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, सदस्य तथा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य द्वारा कथन किया गया कि उनके द्वारा निंदा प्रस्ताव दिया गया है, उस पर चर्चा कराई जावे।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि स्थगन की सूचना प्राप्त हुई है, उसमें सदन क्या चाहता है ?

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई।)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने नियम प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्रथम अवसर पर नहीं दी गई है तथा न्यायिक मामला होने के कारण स्थगन की सूचना पढ़ी नहीं जा सकती है।

5. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि - मैं आपत्तियों को अस्वीकृत करता हूं। मैंने स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्यता पर चर्चा हेतु स्वीकार कर लिया है। माननीय सदस्य चर्चा में इस बात का ध्यान रखें कि न्यायिक आयोग की कार्यवाही किसी तरह प्रभावित न हो ।

6. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा बिलासपुर में आयोजित नसबंदी शिविर में आपरेशन के बाद अनेक महिलाओं की मौत होने संबंधी 37 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन सूचनाओं में से श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष की सूचना तथ्यात्मक होने से पढ़ी गई।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई।)

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने कथन किया कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना देना विपक्ष का मौलिक अधिकार है। प्रतिपक्ष ने स्थगन दिया है, प्रतिपक्ष चर्चा भी करना चाहता था लेकिन अखबारों में छपी खबर से असंतोष फैल गया है।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने उल्लेख किया कि समाचार पत्रों के आधार पर सदन में चर्चा नहीं होती न ही उसके आधार पर सदन कोई निर्णय लेता है।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - माननीय सदस्य ने समाचार पत्र में छपी खबरों के आधार पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया है जिसे मान्य नहीं किया जा सकता है। चूंकि स्थगन की चर्चा में भाग लेने के लिए दलों से नाम प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिए स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्यों के द्वारा जिस क्रम में प्रस्तुत किए गए हैं उसी क्रम में चर्चा करने के लिए मैं उनके नाम बुलाता हूं।

डॉ.विमल चोपड़ा, सदस्य ने चर्चा ने भाग लिया।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा मंत्री एवं मुख्यमंत्री से लगातार इस्तीफे की मांग किए जाने पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि -

7. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि कोई दल शासन के किसी मंत्री का इस्तीफा मांगे यह सदन का विषय नहीं है। सदन में स्थगन प्रस्ताव के बिंदुओं पर ही चर्चा होगी। इस्तीफा मांगना राजनैतिक मांग हो सकती है, जो सभा का विषय नहीं है। प्रतिपक्ष के सदस्य स्थगन प्रस्ताव के बिंदुओं पर चर्चा करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य नारे लगाते हुए सदन में अपने आसन के समीप बैठ गए।)

8. स्थगन प्रस्ताव (क्रमश:)

माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने वाले सदस्यों के नाम चर्चा हेतु पुकारे। सदस्यों द्वारा चर्चा में भाग नहीं लिया गया।

माननीय अध्यक्ष ने सूचना में दिए गए तथ्य एवं शासन के उत्तर पर विचार कर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

9. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 की निम्नांकित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

समिति द्वारा निम्नलिखित वित्तीय, विधायी एवं अन्य कार्य हेतु समय निर्धारित किया गया :-

	वित्तीय कार्य		**समय**
1.	वर्ष 2014-2015 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण	-	03 घंटे
	शासकीय विधि विषयक कार्य		
1.	छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2014	-	15 मिनट
2.	छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 18 सन् 2014)	-	1 घंटा
3.	छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 19 सन् 2014)	-	15 मिनट
4.	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 20 सन् 2014)	-	15 मिनट
5.	छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 21 सन् 2014)	-	15 मिनट
	संकल्प		
	संविधान (एक सौ इक्सीवां संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन संबंधी संकल्प	-	15 मिनट

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

10. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

1. श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 1 सन् 2014),

2. श्री पुन्नूलाल मोहले, सहकारिता मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 2 सन् 2014),
3. श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 3 सन् 2014), तथा
4. श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 4 सन् 2014), **पटल पर रखे।**

11. पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के संबंध में लोकसभा तथा राज्य सभा की कार्यवाहियां तथा उक्त संशोधन के अनुसमर्थन के लिए प्राप्त राज्य सभा सचिवालय का सूचना पत्र,
2. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खंड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के लिये),
3. श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक17 सन् 2013) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 9-41/2013/ज.नि./42, दिनांक 8 अगस्त, 2014 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष मूल्यांकन) विनियम, 2014,
4. श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2012-2013, तथा
5. श्री पुन्नूलाल मोहले, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 15-9/15-02/2013/3, दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 **पटल पर रखे।**

12. जुलाई, 2014 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जुलाई, 2014 के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

13. नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2014 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2014 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

14. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा तृतीय विधान सभा के जुलाई, 2013 सत्र में पारित 17 विधेयकों में से शेष बचे 2 विधेयकों में से 1 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति महोदय तथा चतुर्थ विधान सभा के जुलाई, 2014 सत्र में पारित 8 विधेयकों में से 7 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

15.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री बद्रीधर दीवान
(2) श्री देवजी पटेल
(3) श्री सत्यनारायण शर्मा
(4) श्री संतोष बाफना
(5) श्री शिवरतन शर्मा
(6) श्री धनेन्द्र साहू

16. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने राजधानी रायपुर में पर्यावरण प्रदूषित होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

(2) श्री केशव चन्द्रा, सदस्य ने जिला जांजगीर-चांपा की सेवा सहकारी समिति, धुरकोट में धान खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(माननीय सभापति ने कार्यसूची में दर्ज समस्त कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्री पुन्नूलाल मोहले, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

17. नियम 267 क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267 क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री तोखन साहू
(2) श्री केशव चंद्रा
(3) श्री अरूण वोरा
(4) श्री भैयाराम सिन्हा
(5) श्री मोहन मरकाम

18. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 17 सन् 2014)

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 17 सन् 2014) पुर:स्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 18 सन् 2014)

श्री पुन्नूलाल मोहले, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 18 सन् 2014) पुर:स्थापित किया ।

(3) छत्तीसगढ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 19 सन् 2014)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 19 सन् 2014) पुर:स्थापित किया ।

(4) अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 20 सन् 2014)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षामंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 20 सन् 2014) पुर:स्थापित किया ।

(5) छत्तीसगढ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 21 सन् 2014)

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावारण मंत्री ने छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 21 सन् 2014) पुर:स्थापित किया ।

अपराह्न 1.42 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण, 25 शक संवत् 1936) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा